

31 ²/₂

पत्रावली पेश। वकील वादी उपर।
वकील वादी की कहस बुनी गई।

पत्रावली का दथानपूर्वक अध्ययन अवलोकन
किया गया। प्रतिवादी जबाब का अध्ययन
करने से स्पष्ट है कि वादग्राम आराजी
ख. नं. 127/340 का कि. म. जरे मुपकिन
जोचर दर्ज रिकॉर्ड है जो राजस्थान
शासकाली अधिनियम 1955 की धारा 16 के
अनुसार प्रतिबंधित भूमि है जिला का आवंटन

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निम्न/व्यापारी आधिकार नहीं दिया जा
 सकता/इतना वादी स्वयं सेवानिष्ठ
 लकारी कामि क ह इतः TDR B पीपल
 आहर को निर्देशित किया जाता है कि अधिक
 स्वयं स्व सेवानिष्ठ राजकीय कर्चिवाही होकर
 भी लकारी भूमि (जोचा) पर अधिकारी ह
 इतः अधिकारी राजकीय सेवानिष्ठ कर्चिवाही
 के विरुद्ध निम्ना उसाए उावनी कर्चिवाही सुरें
 सम्बन्धित विभागों लिखा जावे।
 तथा पालना ल-पापालय को अवगारडाके
 पत्रावनी तारहीन होने के कारण खालि
 वी जारी है। पत्रावनी फेसल शुमार
 होकर नम्बर सेवन की जाकर दाखिल
 दफ्तर हो।

3/3/22

सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 गणेश नगर (जोधपुर)